प्रकाशनीय

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील क्रमांक 2448/2009

रामेश्वर और एक अन्य ..... अपीलार्थीगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ..... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

आर. भानूमति, न्यायमूर्ति :

यह अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक–275/1995 में पारित दिनांकित 25.06.2008 के निर्णय से उत्पन्न हुई है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलार्थीगण (अभियुक्त क्रमांक–6 और 5) की दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा–302 सहपठित धारा–34 के अंतर्गत पुष्टि की है और उनके ऊपर आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर रूपये पाँच हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।

2. संक्षेप तथ्यों जिससे इस वर्तमान अपील को प्रस्तुत करते है :–

दिनांक 08.01.1984 की सुबह के 10.00 बजे के आसपास, फरियादी – सुभद्रा (आ.सा. 01), मृतक रामौतार की पत्नी अपने घर में खाना बना रही थी और मृतक रामौतार खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद, मृतक अपने घर के आंगन में पानी पीने के लिए गया। उस समय, अपीलार्थी क्रमांक–1 रामेश्वर जिससे मृतक की दुश्मनी थी, आंगन में फरसा (कुल्हाड़ी) लेकर आया और पाँच अन्य अभियुक्तगण राइफल और डंडे से सुसज्जित होकर पड़ोसी एक केदार सेठ, के दरवाजे पर भी खड़े हुए थे, और उनके बीच में अपीलार्थी क्रमांक–2 बलराम भी था। अपीलार्थी क्रमांक–1 ने दूसरों को मृतक रामौतार की हत्या के लिए कहा और उसके बाद, अपीलार्थी क्रमांक–1 ने फरसे से मृतक पर हमला किया। मृतक आंगन से बाहर दौड़ा। केदार सेठ के दरवाजे पर खड़े चार व्यक्तियों ने मृतक को पकड़ लिया। अपीलार्थी क्रमांक–1 रामेश्वर और

अभियुक्त क्रमांक–1 राम भरोसे वहां आये और अन्य सहअभियुक्तों के साथ शामिल हो गए। उस समय, तेजाबाई, मृतक की मां आई और रामौतार को बचाने के लिए उस पर लेट गई। अभियुक्त ने तेजाबाई को अलग किया और जब तेजाबाई ने अभियुक्त रामेश्वर से फरसा पकड़ने की कोशिश की तब उसे कान के बगल में चोट पहुंची। अभियोजन का मामला यह है कि अभियुक्त रामेश्वर और राम भरोसे ने मृतक को पकड़ लिया और अभियुक्त बालाराम ने मृतक रामौतार के ऊपर गोली चलाई, जो मृतक की पीठ पर लगी, जिसके कारण मृतक बंदूक की गोली की चोट लगने से गिर पड़ा। अभियुक्त रामेश्वर ने अभियुक्त क्रमांक–3 उमाचरण से बंदूक ले ली है, ऐसा भी कहा जाता है और मृतक रामौतार पर चला दी, जिसके कारण मृतक रामौतार को अभियुक्त रामेश्वर के हाथों से भी चोटे पहुंची। जब ग्रामीण आये, तब सारे अभियुक्तगण घटना स्थल से चले गये। सुभद्रा आ.सा. 1 मृतक की पत्नी के द्वारा शिकायत की जिस पर भा.द.स. की धाराओं 452, 147, 148, 302, 302 सहपठित 149 और म.प्र. डकैती और व्यापहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा–11 और 13 के अंतर्गत अपराध क्रमांक–8/84 में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

3. डॉ. पी. एस. तोमर, आ.सा.–10 ने शव परीक्षण किया और मृतक रामौतार के शरीर पर निम्नलिखित चोटे पायी थी :–

I. 1.5 सेमी. का एक गोलाकार छेद मृतक की पीठ पर मेरूदण्ड के मध्य में मौजूद था;

II. मांसपेशी में चोट;

III. मृतक की मेरूदण्ड की अस्थिभंग थी;

IV. निचली रक्त बहीका में चोट थी;

मृतक के मेरूदण्ड के भीतर पाँच छर्रे पाए गए थे और इन सारे छर्रों को सील किया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आ.सा.–10 ने शव परीक्षण प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी–6) यह राय देते हुए जारी किया कि मृतक की मृत्यु चोटों से हुई और चोट क्रमांक–1 मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। अपीलार्थी क्रमांक–1 रामेश्वर को दिनांक–23.04.1984 को गिरफ्तार किया और पूछताछ किये जाने पर, उसने कथन दिया जो कि गोंडा के अंदर से प्रदर्श पी–7 के जब्ती पंचनामें से कुल्हाड़ी की जब्ती की गई। अन्वेषण के पूरा होने के बाद, अपीलार्थीगण और उपरोक्तवर्णित अपराध में चार अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया।

4. आरोपीयों का दोषसिद्धि करने के क्रम में, अभियोजन ने आ.सा.1 सुभद्र, मृतक की पत्नी, आ.सा.–2 रामनारायण, मृतक के पिता, आ.सा.–6 कटौरी बाई, और आ.सा.–7 रामगोपाल और वे सारे पड़ोसी, जिन्होंने घटना के बारे में बताया है और आरोपीगण का भी परीक्षण किया गया है। अभियोजन ने चिकित्सक जिसने शव परीक्षण किया और अन्य आधिकारिक गवाहों का भी परीक्षण किया है। मौखिक साक्ष्य का विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मौखिक साक्ष्य का पर्याप्त रूप से चिकित्सीय साक्ष्य और कुल्हाड़ी की बरामदी जो कि अपलार्थी क्रमांक–1 रामेश्वर के आग्रह पर हुई से भी पर्याप्त रूप से समपुष्टि कराई गई। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन ने आरोपियों के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित कर दिया है और अपीलार्थी क्रमांक–1 रामेश्वर और अपीलार्थी क्रमांक–2 बालाराम को भा.द.सं. की धारा–302 सहपठित धारा–34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास के साथ–साथ प्रत्येक को रूपये पाँच हजार के अर्थदण्ड से दोषसिद्ध किया, जहां तक म.प्र. डकैती और व्यापहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संबंध है, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यहां अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे साबित हो कि घटना किसी डकैत की मदद से घटित हुआ, और इसलिए उनको अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया। विचारण न्यायालय ने अन्य सारे आरोपियों को सारे अभियोगों से दोषमुक्त किया। इससे क्षुब्ध होने पर, अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

5. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आ.सा.–1 के न्यायालय में दर्ज किये गये कथन और उसके एफ.आई.आर के कथनों में विरोधाभास है, चूंकि अभियोजन ने सिद्ध किया है कि अपीलार्थीगण ने मृतक की हत्या कारित करने के लिए सामान्य आशय बाँटा है, न्यायालय भा.द.सं. की धारा–34 को लागू कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में, अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक नहीं था, कि बन्दूक की गोली की चोटों से जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई, वह दोनो अपीलार्थीगण में से किसके द्वारा कारित की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा–302 सहपठित धारा–34 के अंतर्गत पुष्ट की और उनके ऊपर आजीवन कारावास की सजा अधिरोपित की। इससे क्षुब्ध होने के कारण, अपीलार्थीगण हमारे समक्ष है।

6. इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी क्रमांक–1 रामेश्वर का देहांत हो गया और उसके विरूद्ध अपील समाप्त समझी जाती है।

7. अपीलार्थी क्रमांक–2 की ओर से, हमने श्री नागेन्द्र राय विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के निवेदनों को सुना है। हमने प्रत्यर्थी की ओर से श्री राहुल कौशिक विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है और आलोच्य निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साम्रगी का परिशीलन किया।

8. अपीलार्थी क्रमांक–2 की ओर से, उपस्थित हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने भा.द.सं. की धारा–34 का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी क्रमांक–2 बालाराम की दोषसिद्धि की पुष्टि करने में त्रुटि कारित की। यह भी निवेदन किया गया कि यहां इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं था कि यहां अपराध कारित करने से पूर्व मस्तिष्कों का मिलन या कोई पूर्व योजना थी, आगे यह भी निवेदन किया गया कि चश्मदीद गवाहों का अभिसाक्ष्य, अर्थात आ.सा.–1 सुभद्रा, आ.सा.–2 रामनारायण, आ.सा.–6 कटौरी बाई और आ.सा.–7 रामगोपाल, असंगत और एक दूसरे के विरोधाभासी है और जबकि, विचारण न्यायालय ने ऐसे असंगत साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि में त्रुटि कारित की और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि करने में त्रुटि कारित की और आलोच्य आदेश अपीलार्थी क्रमांक–2 बालाराम की दोषसिद्धि करने से स्थिर रहने योग्य नहीं है।

9. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चश्मदीद गवाहों का मौखिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगणों की दोषसिद्धि की उचित रूप से पुष्टि की और आलोच्य निर्णय किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

10. जहां तक तर्क की बात है कि आ.सा.–1 के न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और उसके देहाती नालसी (प्रदर्श पी–1) के मध्य कई विरोधाभास है, यह निवेदन किया गया कि प्रदर्श पी–1 की देहाती नालसी में आ.सा.–1 ने कहा है कि तीन बन्दूक की गोली की चोटे थी– एक चोट अभियुक्त रामेश्वर के द्वारा, एक अभियुक्त बालाराम के द्वारा जिससे मृतक की पीठ पर क्षति कारित हुई और एक घाव अभियुक्त उमाचरण के द्वारा जिससे मृतक के शरीर पर क्षति कारित हुई। उनके न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में, आ.सा.–1 और 2 ने कहा है कि अपीलार्थी क्रमांक–1 ने मृतक के ऊपर बन्दूक की गोली चलाई थी, आ.सा.–6 और 7 ने कहा है कि अपीलार्थी क्रमांक–2 ने उसकी राइफल से मृतक पर गोली चलाई थी। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे विरोधाभासों से अभियोजन का प्रकरण प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि देहाती नालसी में आ.सा.–1 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी क्रमांक–2 बालाराम ने उसकी राइफल से मृतक के ऊपर गोली चलाई थी। प्रदर्श पी–1 में आ.सा.–1 का

कथन अत्यधिक भरोसेमंद होना लगता है, क्योंकि प्रदर्श पी–1 में उसके कथन की पुष्टि आ.सा.– 6 और 7 के कथनों के द्वारा होती है। आ.सा.– 6 और 7 के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी क्रमांक–2 घटना स्थल पर राइफल से सुसज्जित होकर घटना स्थल पर उपस्थित था और कि घटना के समय, यहां पर दो बन्दूक की गोली थी, जो कि अभियुक्त रामेश्वर और बालाराम द्वारा चलाई गई थी।

11. शव परीक्षण प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–6 के अनुसार, मृतक रामौतार को एक बन्दूक की गोली की चोट पहुंची, वह उसके पीठ पर 1.5 सेमी. का गोल छेद है। रामलखन (आ.सा. 15) अन्वेषणकर्ता अधिकारी ने एक .12 बोर का कारतूस और एक .12 का खाली कारतूस घटना स्थल से जप्त किया था। आ.सा.–15 ने दो प्लास्टिक के टूकडे भी जप्त किये, जिससे बारूद की गंन्ध आ रही थी और उपरोक्त साम्रगी और वस्तुएं प्रदर्श पी–11 के जप्तीपत्र के अंतर्गत जप्त किए थे। जहां तक अभियुक्त क्रमांक–3 उमाचरण (चूंकि दोषमुक्त किया गया) को एक बन्दूक की गोली चलाने के बारे में कहा जाता है, किसी भी गवाह ने नहीं कहा है कि उक्त बन्दूक की गोली मृतक के शरीर के किस भाग पर लगी थी, तथ्य पर विचार करते हुए कि यहां उमाचरण के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं था, विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ प्रदान किया और उसे दोषसिद्ध कर दिया। जैसा कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण– अभियुक्तगण के खिलाफ एक जैसा साक्ष्य नहीं है जैसा कि उमाचरण के खिलाफ था, जिसे दोषमुक्त किया गया।

12. अपीलार्थी क्रमांक–2 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य रूप से निवेदन किया कि गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास है कि किसने मृतक रामौतार के ऊपर बन्दूक चलाई थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया, यद्यपि मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी क्रमांक–1 ने बन्दूक चलाई थी, तब भी अपीलार्थी क्रमांक–2 बालाराम की दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा–34 की सहायता से स्थिर नहीं रखा जा सकता है। भा.द.सं. की धारा–34 को लागू करने के लिए, यह आवश्यक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि सबके सामान्य आशय के अनुसरण में एक से ज्यादा लोगों द्वारा आपराधिक कृत्य कारित किया गया। इसलिए यह भी प्रदान करना चाहिए कि – (i) कई सारे व्यक्तियों का एक विशेष अपराध कारित करने का एक सामान्य आशय हो; और (ii) और उस सामान्य आशय के अनुसरण में, उनके द्वारा वास्तव में अपराध कारित किया गया। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी क्रमांक–2 की उपस्थिति

चश्मदीद गवाहों अर्थात आ.सा.–1,2,6 और 7 के निरंतर साक्ष्य के द्वारा स्थापित की गई है। स्वोकोरिति रूप से, अपीलार्थी क्रमांक–2 राइफल से सुसज्जित था और इसलिए अभियुक्त रामेश्वर के साथ सामान्य आशय को बांटा। जब अपीलार्थी क्रमांक–2 का सामान्य आशय के अनुसरण में कृत्य करना साबित हो चूका है तो उच्च न्यायालय ने भा.द.सं. की धारा–34 की सहायता से उसकी दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा–302 के अंतर्गत उचित रूप से पुष्टि की। हम आलोच्य निणर्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए कोई भी कारण नहीं पाते है।

13. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी क्रमांक–2 बालाराम की दोषसिद्धि भा.द.सं. की धारा–302 सहपठित धारा–34 के अंतर्गत और उसके ऊपर आजीवन कारावास की अधिरोपित सजा की पुष्टि की जाती है और यह अपील अपीलार्थी क्रमांक–2 के प्रति खारिज की जाती है। चूंकि अपीलार्थी क्रमांक–1 रामेश्वर का देहांत हो गया है तो उसके विरूद्ध अपील उपशमन के रूप में खारिज की जाती है। अपीलार्थी क्रमांक–2 की सजा की बची हुई शेष कालावधि को भुगतने के लिए आज से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर समर्पण करेगा, जिसमें असफल होने पर उसे अभिरक्षा में लिया जायेगा।

.....न्यायमूर्ति

(आर. बानुमति)

.....न्यायमूर्ति

(ए.एस. बोपन्ना)

नई दिल्ली;

अगस्त 21, 2019.

:: खंडन ::

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समक्ष ने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।